



न्यायालय - श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प, सागर (म.प्र.)

I / निगरानी / पन्ना / 95.10 / 2017 / 3262  
 रामप्रताप बागरी पिता श्री चन्ने बागरी उम 65 वर्ष

निवासी - वार्ड नं. 15 नगर पंचायत पवई तह. पवई जिला पन्ना

--- आवेदक

विरुद्ध

म.प. शासन

--- अनावेदक

प्रकरण क्र. - /

पेशी दिनांक :

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र भू राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता निम्नलिखित प्रार्थना करता है:-

पुनरीक्षणकर्ता अधनीस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार पवई के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 61/अ-68/ वर्ष 2016-17 में पारित आदेश दिनांक-25-5-2017 के विरुद्ध श्रीमान् के समक्ष यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

B. O. R  
 3 JUL 2017

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- एक / निगरानी / पन्ना / भू.रा. / 2017 / 3262

रामप्रताप बागरी विरुद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार पबई, जिला-पन्ना के प्रकरण क्रमांक 61/अ-68/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 25-05-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-पन्ना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 04-11-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(जे०के० जैन) सदस्य</p>	